

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.3 (ग)/एसीपी 92 (रिजर्व)/अलेसे-ग/1560-1568 दिनांक :- 21.04/14

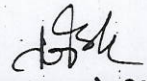
आदेश संख्या/2013-14

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11 (7) वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं आदेश क्रमांक प.11 (7) वित्त (नियम) पार्ट-1/2008 दिनांक 06.10.2008 के अनुसरण में निम्नांकित लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि से 18 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) वेतन श्रृंखला पी.बी.-2 (9300-34800) ग्रेड पे 4200/- एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.14 (88) वित्त (नियम) 2008 दिनांक 5 जुलाई, 2013 के अनुसरण में दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे 4800/- में स्वीकृत की जाती है :-

क्र. सं.	नाम लेखाकार (सर्वश्री)	मेरिट/बैच नं०	जन्मतिथि	कनिष्ठ लेखाकार के पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	एसीपी स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	मघाराम	162/92आर	01.09.1970	30.06.1995	30.06.2013	
2	मूलचन्द मीणा	174/92आर	08.07.1970	01.07.1995	01.07.2013	
3	भरतलाल मीणा	191/92आर	01.03.1962	15.07.1995	15.07.2013	

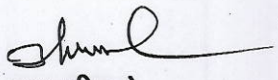
उक्त लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.14 (88) वित्त/नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 में दी हुई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र, सन्तान संबंधी घोषणा एवं वार्षिक कार्य प्रतिवेदन प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

उपर्युक्त लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के आदेश दिनांक 12.09.08 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं एवं एसीपी स्वीकृति तिथि का इनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित लेखाकार की सेवा पुस्तिका में की जावे।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.3 (ग)/एसीपी 92 (रिजर्व)/अलेसे-ग/1560-1568 दिनांक :- 21.04/14
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
2. श्री लेखाकार, कार्यालय
3. विशेषाधिकारी, कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)
4. निजी सहायक, निदेशक महोदया।


(के एम मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)

क्रमांक :- एफ.3 (ग)/एसीपी 92 (रिजर्व)/अलेसे-ग/